न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी —भंवर लाल आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः—18.06.2019

वाद संख्याः—58 / 19

1. कालूराम पुत्र चुन्नीलाल
2. रणछोड़राम पुत्र चुन्नीलाल
3. बाबुलाल पुत्र चुन्नीलाल
जाति ब्राहम्ण निवासी सउओं की बेरी, पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा

..............वादीगण

बनाम

1. डालूराम पुत्र पूनमाराम
2. मोहनलाल पुत्र पूनमाराम
3. गणेशाराम पुत्र पूनमाराम
4. भलाराम पुत्र पूनमाराम
5. बाबु पुत्र भैरा
जाति ब्राहम्ण निवासी हिरकन का थान, पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द तहसील धोरीमन्ना

............असल.प्रतिवादीगण

6. प्रबन्धक,बीसीसीबी शाखा धोरीमंना
7. प्रबन्धक,राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बालोतरा

............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामनिवास विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री मदनलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—21.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 का बाबत सकारात्मक एवं ... बहस ... वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 383,389 रकबा क्रमशः 07—03, 26—05 बीघा वाके ग्राम सउओं की बेरी ,तथा खसरा संख्या 04, 49 रकबा 23—14, 50—16 बीघा वाके ग्राम हिरकन का थान पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तक़सीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। पत्रावली में प्रतिवादीगण को दिनांक 26.11.2019 से 17.12.2020 तक अनेक व अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 17.12.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत की गई।

3. पत्रावली में वादी साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाये—

क्र.स.	दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
1.	खतौनी बन्दोबस्त	संवत् 2012 से 2031 खसरा संख्या 193 मौजा मीठड़ा खूर्द	प्रदर्श—1
2.	जमाबंदी	संवत् 2071—2074 खसरा संख्या 383, 389 मौजा सउओं की बेरी	प्रदर्श—2
3.	जमाबंदी	संवत् 2073—2076 खसरा संख्या 4, 49 मौजा हिरकन का थान	प्रदर्श—3
4.	नक्शा	मोजा सउओं की बेरी खसरा संख्या 383,389	प्रदर्श—4
5.	नक्शा	मेजा हिरकन का [illegible] संख्या 4,49	प्रदर्श—5

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
बाबुलाल पुत्र चुन्नीलाल	ब्राह्मण	सउओं की बेरी
रणछोड़राम पुत्र चुन्नीलाल	ब्राह्मण	सउओं की बेरी
कालूराम पुत्र चुन्नीलाल	ब्राह्मण	सउओं की बेरी

प्रकरण में वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य नियत की गई।

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा बाबूराम पुत्र भैराराम जाति ब्राह्मण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण के साथ प्रतिवादीगण का भी बंटवारा किये जाने का कथन किया।

6. तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.12.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/497 दिनांक 137.03.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 13.03.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ./2026/2125–2127 दिनांक 10.02.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 13.03.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 383,389 रकबा क्रमशः 07–03, 26–05 बीघा वाके ग्राम सउओं की बेरी ,तथा खसरा संख्या 04, 49 रकबा 23–14, 50–16 बीघा वाके ग्राम हिरकन का थान पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

8. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराज़ी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 383,389 रकबा क्रमशः 1.1574, 4.2492 है0 वाके ग्राम सउओं की बेरी ,तथा खसरा संख्या 04, 49 रकबा क्रमशः 3.8364, 8.2232 वाके ग्राम हिरकन का थान पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	कालुराम पुत्र चुनीलाल 1/3 रणछोड़रामपुत्र चुनीलाल 1/3 बाबूलाल पुत्र चुनीलाल 1/3 कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	सउओं की बेरी	383 389	1.1574 4.2492	0.43 1.57	बा.दो. बा.दो.	हरा
			2	5.4066	2.00	बा.दो.	
		मीठड़ा खूर्द	49	0.4155	0.12	बा.सो.	
		योग	1	0.4155	0.12	बा.सो.	
2.	गणेशाराम,डालूराम,भलाराम,मोहनलाल पिता पूनमाराम 1/2 बाबूराम पुत्र भैराराम कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार रहन-मोहनलाल का हिस्सा बीयूबी शाखा धोरीमना रहन बाबुराम का हिस्सा टीएजीबी शाखा धोरीमना	हिरकन का थान	4	3.8364	1.15	बा.सो.	लाल
		मीठड़ा खूर्द	49	7.8077	2.35	बा.सा	

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादी के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–58/19

दर्ज तिथि:–18.06.2019

1. कालूराम पुत्र चुन्नीलाल
2. रणछोड़राम पुत्र चुन्नीलाल
3. बाबुलाल पुत्र चुन्नीलाल
   जाति ब्राहम्ण निवासी सउओं की बेरी, पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द तहसील धोरीमन्ना

.....वादीगण

बनाम

1. डालूराम पुत्र पूनमाराम
2. मोहनलाल पुत्र पूनमाराम
3. गणेशाराम पुत्र पूनमाराम
4. भलाराम पुत्र पूनमाराम
5. बाबु पुत्र भैरा
   जाति ब्राहम्ण निवासी हिरकन का थान, पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा

.....असल.प्रतिवादीगण

6. प्रबन्धक,बीसीसीबी शाखा धोरीमना
7. प्रबन्धक,राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बालोतरा

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री रामनिवास बिश्नोई
प्रतिवादीगण:–श्री मदनलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 383,389 रकबा कमशः 1.1574, 1.2492 है0 वाके ग्राम सउओं की बेरी ,तथा खसरा संख्या 04, 49 रकबा कमशः 3.8364, 8.2232 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested

हिरकन का थान पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	कालुराम पुत्र चुनीलाल 1/3 रणछोड़रामपुत्र चुनीलाल 1/3 बाबूलाल पुत्र चुनीलाल 1/3 कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	सउओं की बेरी	383 389	1.1574 4.2492	0.43 1.57	बा.दो. बा.दो.	हरा
			2	5.4066	2.00	बा.दो.	
		मीठड़ा खूर्द	49	0.4155	0.12	बा.सो.	
		योग	1	0.4155	0.12	बा.सो.	
2.	गणेशाराम,डालूराम,भलाराम,मोहनलाल पिता पूनमाराम 1/2 बाबूराम पुत्र भैराराम कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार रहन–मोहनलाल का हिस्सा बीयूबी शाखा धोरीमना रहन बाबुराम का हिस्सा टीएजीबी शाखा धोरीमना	हिरकन का थान	4	3.8364	1.15	बा.सो.	लाल
		मीठड़ा खूर्द	49	7.8077	2.35	बा.सा	

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:06 IST
Reason: SelfAttested